



चित्रकूट-पुलिस



(1). *माननीय न्यायालय द्वारा पड़ोसी बालक की हत्या कर आरोपी पति-पत्नी को सश्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 88/2022 धारा 364,302,201,34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. भुल्लू वर्मा उर्फ ज़रैला पुत्र राम अवतार 2. अभियुक्ता श्रीमती उर्मिला वर्मा पत्नी भुल्लू वर्मा उर्फ ज़रैला निवासीगण राघव पुरी वार्ड नंबर 3 सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को सश्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.03.2022 को थाना कोतवाली कर्वी में श्री रामप्रयाग रैदास पुत्र हीरालाल निवासी राघवपुरी वार्ड नं0 03 सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि उनका 09 वर्षीय बालक कन्हैया गुम हो गया है काफी ढूंढने पर नहीं मिला। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 88/22 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत किया गया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह द्वारा की गयी तथा दिनांक 12.03.2022 को गुमशुदा बालक का शव वादी के पड़ोसी भुल्लू वर्मा उर्फ ज़रैला पुत्र रामअवतार के घर से बरामद हुआ था, जिस क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 363 भादवि0 का लोप कर धारा 364,302,201,34 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी थी तथा दिनांक 14.03.2022 को विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. भुल्लू वर्मा उर्फ ज़रैला पुत्र राम अवतार 2. अभियुक्ता श्रीमती उर्मिला वर्मा पत्नी भुल्लू वर्मा उर्फ ज़रैला निवासीगण राघव पुरी वार्ड नंबर 3 सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया था कि दीपावली के समय मुझे स्वप्न आया था कि मेरे घर में 03 हंडा धन गड़ा है,यदि सम्भावित स्थान पर पूजा पाठ कर किसी नाबालिक की उस स्थान पर बलि दी जाये तो वह धन प्राप्त किया जा सकता है। इस बात पर सही गलत का विचार किये बिना मैं व मेरी पत्नी लालच में आ गये और तभी से उपरोक्त क्रिया करने की फिराक में थे कि दिनांक 08.03.2022 को अपने पड़ोसी व रिश्ते में भाई रामप्रयाग रैदास के 09 वर्षीय बालक को अकेला पाकर चिन्हित स्थान पर लाकर बालक को ईंट से मारकर बच्चे की लाश को छिपाने के उद्देश्य से डिब्बे में भर दिया था। विवेचक द्वारा दिनांक 07.06.2022 को आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 31.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प

लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बुलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). आज दिनांक 31.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में लोकसभा चुनाव -2024 के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(4). आज दिनांक 31.05.2024 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में पुलिस विभाग में अपनी सेवा पूर्ण करने वाले 01 उपनिरीक्षक व 01 अनुचर की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे 03 श्री सुरेश कुमार राय व कुक श्री शारदा प्रसाद को माला पहनाकर, प्रशस्ति-पत्र एवं उपहार प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गयी। इस दौरान सेवानिवृत्त हो रहे उपनिरीक्षक व सेवानिवृत्त कुक एवं मौके पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को हल्का नास्ता करवाकर मुंह मीठा कराया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे उपनिरीक्षक व कुक से कहा गया कि वह घर जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें, अपने जीवन का अमूल्य समय विभाग को दिया है, मैं समस्त पुलिस विभाग की ओर से आपके सुखद जीवन एवं परिवार की तरक्की की मनोकामना करता हूँ।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह, प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ श्री जयलाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). आज दिनांक 30.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का र्टर्न आउट चैक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा परिवहन शाखा, आवासीय परिसर का भ्रमण कर प्रतिसार निरीक्षक को साफ-सफाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात आदेश-कक्ष में जाकर पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). आज दिनांक-31.05.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीवी कैमरा के संचालन, महिला बैरक में निरुद्ध महिलाओं से खान-पान आदि के बारे में जानकारी की तथा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार दूरभाष पर बात भी कराते रहें। हाई सिक्योरिटी बैरक में कैदियों की खाना तलाशी कराकर

अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि कैदियों को मीनू के अनुसार खान-पान की व्यवस्था रहे। निरुद्ध कैदियों के लिए आरो पानी की सप्लाई, रसोईघर का निरीक्षण करते हुये जेल अधीक्षक से कहा कि कैदियों को भोजन, नाश्ता प्रतिदिन मीनू के अनुसार दिया जाए इसमें कोई अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। कैदियों को जो सुविधाएं अनुमन्य है उसी के अनुसार व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण के दौरान अधीक्षक जिला कारागार श्री शशांक पांडेय, जेलर श्री राजीव कुमार सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह सहित संबंधित लोग मौजूद रहे।